न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
30 / 2021 / प्रा.पत्र / 2021	06.04.2021	21.10.2021

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1—श्री शैतान सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री भवंर सिंह राजपुरोहित एफ.बी.ओ. मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार बस स्टैण्ड के पास नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक राज0 निवासी खूम सिंह नगर,झबरा जैसलमेर राज0
2—श्री गणेश राम पुत्र श्री लाधूराम एफ.बी.ओ. मैसर्स बालाजी नमकीन भण्डार व्यासो का मोहल्ला टेलिफोन एक्सचेन्ज के पास सीटीएस बस स्टैण्ड सांगानेर जयपुर निवासी 105 आसींद नगर सांगानेर बाजार सागांनेर जयपुर राज0

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एंव धारा 52 एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—
1—प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2—अप्रार्थीगण उपस्थित

दिनांक 21.10.2021

:—**निर्णय**—:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.12.2020 को समय 1.02 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार बस स्टैण्ड के पास नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक राज0पर पहुंचां। विकेता की हैसियत से श्री शैतान सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री भवंर सिंह राजपुरोहित एफ.बी.ओ. मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार बस स्टैण्ड के पास नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक राज0 निवासी खूम सिंह नगर,झबरा जैसलमेर राज0खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:30:22 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक द्वारा निरीक्षण [illegible] को विकय हेतु दुकान मे सोन पपडी जोधपुर मिष्ठान भण्[illegible] (Soan [illegible]di Jodhpur Mishtan Bhandar

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Brand) रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. विक्रेता श्री शैतान सिंह राजपुरोहित को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता शैतान सिंह राजपुरोहित एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान की रैक मे 450–450 ग्राम के 13 नग मूल पैक **सोन पपडी जोधपुर मिष्ठान भण्डार ब्राण्ड** (Soan Papdi Jodhpur Mishtan Bhandar Brand) रखे हुये मे से 4 मूल पैक का चयन कर इलेक्ट्रोनिक तोलने की मशीन से तुलवाकर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री शैतान सिंह राजपुरोहित को रू0 220/–अक्षरे दो सौ बीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **सोन पपडी जोधपुर मिष्ठान भण्डार ब्राण्ड** (Soan Papdi Jodhpur Mishtan Bhandar Brand) 450–450 ग्राम के नगो को ज्यो का त्यो बराबर–बराबर 1–1 नग को चार साफ व सूखे कागज के गत्ते के डिब्बो मे रखकर डिब्बो के ढक्कन को अच्छी तरह एयरटाईट बंद किया एंव नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–2727 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2727 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. शैतान सिंह राजपुरोहित के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाध पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री शैतान सिंह राजपुरोहित ने मौके पर **सोन पपडी जोधपुर मिष्ठान भण्डार ब्राण्ड** (Soan Papdi Jodhpur Mishtan Bhandar Brand) का बिल पेश ना कर दिनांक 24.12.2020 को कार्यालय मे उपस्थित होकर बतोर वारंटी बिल मैसर्स बालाजी नमकीन भण्डार व्यासो का मोहल्ला टेलिफोन एक्सचेन्ज के पास सीटीएस बस स्टैण्ड सांगानेर जयपुर का बिल क्रमांक/इन्वॉइस नं0 918 दिनांक 01.12.2020 की छायाप्रति पेश की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील कि... नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर ... राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:30:22 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2021/94 दिनांक 11.01.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/2388/एक्ट/2020/2260 दिनांक 18.12.2020 अनुसार शैतान सिंह राजपुरोहित से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **सोन पपडी जोधपुर मिष्ठान भण्डार ब्राण्ड** (Soan Papdi Jodhpur Mishtan Bhandar Brand) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा3(1) (zf) (c) (i) के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का **सोन पपडी जोधपुर मिष्ठान भण्डार ब्राण्ड** (Soan Papdi Jodhpur Mishtan Bhandar Brand) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 एंव अप्रार्थी संख्या 2 की और से उनके प्रतिनिधि द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **सोन पपडी जोधपुर मिष्ठान भण्डार ब्राण्ड** (Soan Papdi Jodhpur Mishtan Bhandar Brand) का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **सोन पपडी जोधपुर मिष्ठान भण्डार ब्राण्ड** (Soan Papdi Jodhpur Mishtan Bhandar Brand)का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री शैतान सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री भवंर सिंह राजपुरोहित एफ.बी.ओ. मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार बस स्टैण्ड के पास नगरफोर्ट तहसील दूनी जिला टोंक राज0 निवासी खूम सिंह नगर,झबरा जैसलमेर राज0 पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार रू0) अप्रार्थी श्री गणेश राम पुत्र श्री लाधूराम एफ.बी.ओ. मैसर्स बालाजी नमकीन भण्डार व्यासो का मोहल्ला टेलिफोन एक्सचेन्ज के पास सीटीएस बस स्टैण्ड सांगानेर जयपुर निवासी 105 आसींद नगर सांगानेर बाजार सांगानेर जयपुर राज0 पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार रू0) आरोपित की जाती हैअभियुक्त उक्त दण्ड [illegible] राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 21.10.2021 से एक माह के अन्दर

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:30:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

21.10.21

(मुरारी लाल शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:30:22 IST
Reason: SelfAttested